125

न्यायालय श्रीमान मध्य प्रदेश राजस्व मण्डल, ग्वालीयर (म.प्र.)

R-759-I/12 निगरानी प्र. क्र. /2012

(1) अब्दुल हमीद पिता श्री अब्दुल अजीज मुसलमान उम्र व्यस्क
(2) अब्दुल शकील पिता श्री अब्दुल अजीज मुसलमान उम्र व्यस्क
(3) अकरम पिता श्री अब्दुल अजीज मुसलमान मृतक द्वारा –
वारिसान – (अ) अजरा बी पति स्व. अकरम मुसलमान
(ब) सोनू पिता स्व. अकरम मुसलमान
(स) अमान पिता स्व. अकरम मुसलमान
(द) सन्ना पिता स्व. अकरम मुसलमान
तीनों ब, स, द अवयस्क द्वारा संरक्षक माता अजरा बी बेवा स्व. अकरम मुसलमान
(4) मोहम्मद सलाम पिता अब्दुल अजीज मुसलमान
(5) अब्दुल सलीम पिता अब्दुल हकीम मुसलमान
(6) अब्दुल सब्बु पिता अब्दुल हकीम मुसलमान
(7) अब्दुल साबीर पिता अब्दुल हकीम मुसलमान
सभी निवासीयान ढ़प्पाली मोहल्ला नीमच केन्ट, नीमच (म.प्र.) .... प्रार्थीगण

6-3-2012

125
6/3/2012

विरूद्ध

(1) महिला रूखसाना पति स्व. लालमियां मुसलमान
(2) हरशाद पिता स्व. लालमियां मुसलमान
(3) अमीना उर्फ फराह पिता स्व. लालमियां
सभी निवासीयान – नीमच हा.मु. कैम्प भोपाल
(4) म.प्र. शासन द्वारा राजस्व न्यायालय नीमच, जिला–नीमच .... विपक्षीगण

14-3-12

21-3-12

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू.रा. संहिता बनाराजगी निर्णय अधिनस्थ प्रथम अपीली न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी उपखण्ड नीमच, जिला नीमच द्वारा अपील क्र. 33/अपील/2010–2011 महिला रूखसाना आदि विरूद्ध अब्दुल हमीद आदि में पारित रिमाण्ड आदेश दिनांक 27–12–11 से असंतुष्ट होकर अंदर मियाद सेवा में पेश है।

माननीय महोदयजी,

प्रार्थीगण की ओर से निगरानी प्रार्थना पत्र निम्नवत् सेवा में प्रस्तुत है –

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

यह कि प्रार्थी क्र. 1 लगायत 4 स्व. अब्दुल अजीज के वारीसान है। अब्दुल अजीज की मृत्यु 18–02–05 को हो जाने से प्रार्थीगण का नामांतरण पंजी क्र. 22 दिनांक 20–10–05 को वैध वारीसान के कारण किया गया था। उक्त नामांतरण आदेश के विरूद्ध

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-759-एक/12 **जिला** - नीमच

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10/1/19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री कैलाश जोशी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.4.19 को कलेक्टर, जिला नीमच के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	